कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/शि.सं./एफ-4/बकाया भुगतान/ /2018-19/ दिनांक- 16./04/19

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
प्रारंभिक शिक्षा,
समस्त।

विषयः- **कार्मिकों की एम्पलोई आईडी नई जगह पर स्थानांतरति करने हेतु ।**
प्रसंगः- राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के परिपत्र दिनांक 09.01.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि अध्यापक लेवल -1 तथा अध्यापक लेवल-2 भर्ती में पूर्व में कार्यरत व त्यागपत्र देकर दूसरे जिले में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों की एम्पलोई आईडी कतिपय जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा नई जगह पर स्थानांतरित नहीं की जा रही हैं ।

प्रासंगिक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के परिपत्र दिनांक 09.01.19 के बिन्दु संख्या 4 तथा 6 में अंकित है कि :

4. **"कर्मचारी के राजकीय सेवा में विभाग परिवर्तन होने या एक सेवा से दूसरी सेवा में चयन होने पर तथा कर्मचारी के स्थानांतरण की स्थिति में एम्पलोई आईडी में परिवर्तन नहीं होगा, पूर्व में जारी एम्पलोई आईडी ही निरन्तर जारी रहेगी ।"**
6. **"कर्मचारी के स्थानांतरण, विभाग परिवर्तन एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में चयन होने की स्थिति में कर्मचारी की एम्पलोई आईडी को PULL करने एवं सर्विस डिटेल में परिवर्तन के एक्सेस सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को उपलब्ध है ।"**

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के परिपत्र दिनांक 09.01.19 की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्थितियों में कार्मिकों की एम्पलोई आईडी नई जगह पर स्थानांतरति करने अथवा PULL करने में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें ।

www.rajteachers.com

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं प.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर